

दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए
डिजिटल सेवा करार

+1152. श्री राहुल रमेश शेवाले:

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

श्री चंद्र शेखर साहू:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) के तहत भारत के साथ एक डिजिटल सेवा करार की खोज में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दोनों देशों ने इस पर बातचीत शुरू कर दी है और यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सीईसीए के लिए बातचीत 2011 में शुरू हुई थी और 2016 में निलंबित कर दी गई थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी नीति के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 29 दिसंबर 2022 को लागू होगा। अध्याय 14- अंतिम प्रावधान के अनुच्छेद 14.5 के अनुसार, समझौते के तहत स्थापित वार्ता उप-समिति इस समझौते को व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) में बदलने के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह आधार पर इस समझौते में संशोधनों पर बातचीत शुरू करेगी। इंगित क्षेत्रों में, डिजिटल व्यापार पर एक अध्याय इंगित क्षेत्रों में से एक है जिस पर सीईसीए के तहत बातचीत होगी। व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के लिए बातचीत अभी शुरू होनी है।

(ग): भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर बातचीत 2011 में शुरू हुई और 2015 तक वार्ता के 9 दौर हुए। इसके बाद, कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि दोनों देश उस समय चल रही क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) वार्ताओं का हिस्सा थे।

सितंबर 2021 में, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने माल और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को तेजी से उदार बनाने और उसे गहन करने के लिए और फिर इस आधार को अधिक व्यापक सीईसीए पर बातचीत करने हेतु उपयोग करने के लिए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) पूरा करने के इरादे से सीईसीए वार्ता को औपचारिक रूप से फिर से शुरू किया। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते (इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) पर 2 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह 29 दिसंबर, 2022 को लागू होगा।

(घ) और (ङ): बेंगलुरु में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की संभावना तलाशने के प्रस्ताव पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चर्चा की जा रही है।

दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

+1174. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री सुब्रत पाठक:

श्री विद्युत बरन महतो:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री मनोज तिवारी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2022 का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मेले का मुख्य विषय क्या था;

(ग) उक्त मेले में भाग लेने वाले घरेलू और विदेशी प्रतिभागियों / कंपनियों और देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों की संख्या क्या है और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में नए व्यापार मेला परिसरों की स्थापना की है/स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित परिसरों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(च) देश में ऐसे व्यापार मेलों के माध्यम से घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी हां, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), 2022 का आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया था।

(ख): भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) का 41वां संस्करण लगभग 73,000 वर्ग मीटर के सकल क्षेत्र में 14-27 नवंबर, 2022 के दौरान आयोजित किया गया था।

इस आयोजन का मुख्य विषय “वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल” था।

(ग): **घरेलू:** इस कार्यक्रम में निजी प्रतिभागियों के अलावा कुल 29 भारतीय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और 53 सरकारी मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि ने अपने-अपने संबंधित पैविलियन के साथ इस आयोजन में भाग लिया। प्रत्यक्ष के साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों के माध्यम से प्रतिभागियों की कुल संख्या लगभग 3000 होने का अनुमान है।

विदेशी: 13 देशों के लगभग 57 प्रदर्शकों ने आईआईटीएफ 2022 में भाग लिया, जिनमें अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, चीन, ईरान, किर्गिज गणराज्य, नेपाल, तुर्की गणराज्य, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम शामिल हैं।

(घ): बड़ी संख्या में विदेशी व्यापार आगंतुकों ने आईआईटीएफ में भाग लिया और सरकारी तथा निजी हितधारकों से मुलाकात की। तथापि, इस आयोजन के दौरान आईटीपीओ द्वारा किसी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(ङ) : आईटीपीओ, देश के विभिन्न भागों में व्यापार मेला परिसर स्थापित करने में वाणिज्य विभाग (डीओसी) को सुविधा प्रदान करता है। इसका विवरण निम्नलिखित है :

संगठन और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थिति	निगमन का वर्ष	आईटीपीओ की हिस्सेदारी का %
तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन (टीएनटीपीओ), चेन्नई, तमिलनाडु	अनुषंगी	2000	51%
कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन (केटीपीओ), बेंगलुरु, कर्नाटक	अनुषंगी	2000	51%
जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन (जेकेटीपीओ), पंपोर, जम्मू और कश्मीर	सहयोगी कंपनी	2018	40%

विभिन्न राज्यों में व्यापार मेला परिसरों की स्थापना करने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम(टीआईईएस) स्कीम के तहत राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से अनुदान प्रदान किया जाता है।

(च): आईटीपीओ, उद्योग को व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण में बैठक करने, बातचीत करने और व्यवसाय करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए भारत में विभिन्न स्थानों पर व्यापार मेलों का आयोजन करता है। प्रमुख आयोजनों में शामिल हैं -

- ❖ भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), दिल्ली
- ❖ आहार - अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, दिल्ली
- ❖ भारत अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला, चेन्नई
- ❖ भारत अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेला (आईआईएफएफ), नई दिल्ली
- ❖ भारत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी, नई दिल्ली
- ❖ पूर्वी हिमालयन प्रदर्शनी, शिलांग
- ❖ दिल्ली पुस्तक मेला, स्टेशनरी मेला, कार्यालय स्वचालन और उपहार मेला, दिल्ली
- ❖ भारत चमड़ा और एक्सेसरीज़ मेला (आईएलएएफ), कोलकाता

दिनांक 14 दिसंबर 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए
प्रमुख निर्यात बाजारों से मांग में कमी

1239. श्री पी.सी. मोहन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को प्रमुख निर्यात बाजारों से मांग में कमी की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में मांग में कमी सहित उसका ब्यौरा क्या है; और
- (ग) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) अप्रैल-अक्टूबर 2022 (नवीनतम उपलब्ध डेटा) के दौरान भारत की समग्र पण्य-वस्तु निर्यात मांग मजबूत रही। अप्रैल-अक्टूबर 2022 की अवधि के लिए पण्य वस्तु निर्यात 263.35 बिलियन अमरीकी का रहा, जबकि पिछले वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर 2021) की इसी अवधि के दौरान यह 233.98 बिलियन अमरीकी डॉलर का था, इस प्रकार इसमें 12.55 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में (-) 2.2 प्रतिशत की मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है।

(ग) सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन और बढ़ावा दे रही है और समय-समय पर उपयुक्त हस्तक्षेप शुरू कर रही है। प्रमुख योजनाओं/हस्तक्षेपों में शामिल हैं:

1. बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम निर्यात संवर्धन संगठनों/व्यापार संवर्धन संगठनों/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों/अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों/प्रयोगशालाओं, निर्यातकों आदि को नए बाजारों तक पहुंच बनाकर या मौजूदा बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ाकर निर्यात बढ़ाने में मदद करती है।
2. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), तंबाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत भी कृषि उत्पादों के निर्यातकों को सहायता उपलब्ध है।
3. निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) निर्यात के विकास के लिए उपयुक्त अवसंरचना के सृजन हेतु केन्द्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करती है।
4. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों/करों/शुल्कों की छूट प्रदान करता है जो निर्यात किए गए उत्पादों के निर्माण और वितरण की

प्रक्रिया में उपचित होते हैं, लेकिन जो वर्तमान में किसी अन्य शुल्क छूट योजना के तहत वापस नहीं किए जा रहे हैं।

5. ईसीजीसी भारतीय निर्यातों को क्रेडिट बीमा कवर प्रदान करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करता है। एनईआईए परियोजना निर्यात के लिए ईसीजीसी द्वारा प्रदान किए गए बीमा कवर को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है, जिससे भारतीय परियोजना निर्यातक अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं और विभिन्न ज्यूरिस्टिक्शन्स में मजबूत आधार हासिल करते हैं, जो विदेशों में बड़ी परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए भारत की क्षमताओं को उजागर करते हैं।
6. व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाण पत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म।
7. भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए ईपीसी, वस्तु बोर्डों और विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका के साथ सरकार के समग्र दृष्टिकोण को बढ़ाया गया है।
8. अब तक, भारत ने 13 एफटीए और 6 पीटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने हाल ही में भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 1 मई, 2022 से लागू हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एफटीए (अर्थात् भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता (भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए)) किया है जो 29.12.2022 से लागू होगा ।

दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए
यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौता

1246. श्री अधीर रंजन चौधरी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को सम्पन्न करने में यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ बातचीत की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) दिवाली, 2022 के अवसर पर अथवा उससे पहले एफटीए को सम्पन्न नहीं करने के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार भारतीय छात्रों और कार्यरत पेशेवरों के ब्रिटेन प्रवास के मुद्दे को वार्ता में उठा रही है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ.): भारत और ब्रिटेन 13 जनवरी 2022 से एक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता कर रहे हैं। अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है। दोनों पक्ष निष्पक्ष एवं साम्यापूर्ण एफटीए प्राप्त करने के उद्देश्य से साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही सहित, सेवा व्यापार, लाभ और गिव-अवेज के समग्र पैकेज के आधार पर वार्ता के तहत क्षेत्रों में से एक है, जो दोनों पक्षों की महत्वाकांक्षाओं और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखती है।

दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए
चीन के साथ व्यापार

1253. श्री विनसेंट एच.पाला:

डॉ. ए चेल्लाकुमार:

श्री बेन्नी बेहनन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है यदि हां, तो चीन के साथ व्यापार की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य कितना है और वर्ष 2014 से अब तक आयात और निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्ष 2014 से आज की तारीख तक चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए चीन के आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता के क्या कारण हैं;
- (घ) उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के बावजूद भारत के रसायनों और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के लिए चीनी आयात पर निर्भर रहने के क्या कारण हैं;
- (ङ) चीन पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए बनाई गई पीएलआई योजनाएं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल क्यों रही हैं; और
- (च) क्या सरकार चीन पर व्यापार निर्भरता को कम करने के लिए कोई अन्य पहल कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : नहीं। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा पण्य वस्तु व्यापार भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका था।

(ख) : वित्त वर्ष 2014-15 से चीन के साथ व्यापार घाटा इस प्रकार है:

(यूएसडी बिलियन में मूल्य)

वित्तीय वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अप्रैल-अक्टूबर) (अन.)
निर्यात	11.93	9.01	10.17	13.33	16.75	16.61	21.18	21.26	8.77
आयात	60.41	61.70	61.28	76.38	70.31	65.26	65.21	94.57	60.27
कुल व्यापार	72.34	70.71	71.45	89.71	87.06	81.87	86.39	115.83	69.04
व्यापार घाटा	48.48	52.69	51.11	63.05	53.56	48.65	44.03	73.31	51.50

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

*(अन.) अंतिम के लिए है

2004-05 में चीन के साथ व्यापार घाटा 1.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2013-14 में 2346% की वृद्धि के साथ 36.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इस भारी वृद्धि की तुलना में चीन के साथ व्यापार घाटा 2013-14 में 36.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2021-22 में केवल लगभग 100% बढ़कर 73.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

(ग) : चीन से आयातित अधिकांश सामान पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती सामान और कच्चा माल है और भारत में उनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और बिजली जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों, कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों, टेलीफोन घटकों, आदि के आयात में वृद्धि का श्रेय भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए दिया जा सकता है। इन श्रेणियों में आयात पर भारत की निर्भरता काफी हद तक घरेलू आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर के कारण है।

(घ) : चीन से आयातित एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) और ड्रग फॉर्मूलेशन के रूप में कच्चे माल का उपयोग तैयार उत्पाद (जेनेरिक दवाएं) बनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें भारत से बाहर भी निर्यात किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे मोबाइल फोन के पुर्जे, एकीकृत सर्किट, वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण आदि का उपयोग तैयार उत्पाद (जैसे मोबाइल हैंडसेट) बनाने के लिए किया जाता है जिसका भी अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। एपीआई/बल्क ड्रग्स/की स्टार्टिंग मैटेरियल्स और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है और ये स्कीम आयात पर निर्भरता कम करेंगी और भारत को ड्रग्स/इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाएंगी और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के अलावा और अधिक घरेलू चैंपियन बनाएंगी हैं।

(ड) और (च): हालांकि पीएलआई योजनाएं हाल ही में शुरू की गई हैं, उन्होंने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है और कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

i) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना ने मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटकों का विनिर्माण करने वाली वैश्विक और घरेलू कंपनियों से बड़े निवेश को आकर्षित किया है। मोबाइल फोन के उत्पादन के साथ-साथ निर्यात में भी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2014-15 में मोबाइल हैंडसेट का आयात 48,609 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 11,209 करोड़ रुपये हो गया, जबकि भारत से मोबाइल फोन का निर्यात पहली बार सितंबर 2022 में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (8,200 करोड़ रुपये से अधिक) का हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 में, अक्टूबर 2022 तक मोबाइल फोन निर्यात 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया जबकि वर्ष 2021-22 की इसी अवधि के दौरान यह 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ था।

ii) सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री एपीआई के लिए पीएलआई के तहत कुल 51 आवेदकों को 4138.41 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ अनुमोदित किया गया और लगभग 10,598 लोगों के रोजगार सृजन की उम्मीद है। उद्योग ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है और सितंबर 2022 तक वास्तविक निवेश 1707.37 करोड़ रुपये का हो गया।

(iii) 'चिकित्सा उपकरणों' के लिए पीएलआई योजना के तहत, कुल 1058.97 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ कुल 21 आवेदकों को मंजूरी दी गई है,

(iv) फार्मास्युटिकल्स के लिए पीएलआई के तहत, 17,425 करोड़ रुपये के कुल प्रतिबद्ध व्यय के साथ 55 आवेदनों को मंजूरी दी गई है और सितंबर 2022 तक वास्तविक निवेश 15,164 करोड़ रुपये है, जिसमें 261 विनिर्माण अवस्थापन कमीशन हैं।

(v) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई के तहत, 01-04-2022 से प्रभावी पीएलआई योजना दिशानिर्देशों में संशोधन किए गए थे, ताकि योजना के दायरे को बढ़ाया जा सके, और 5जी उत्पादों के लिए डिजाइन-आधारित विनिर्माण को सुविधाजनक बनाया जा सके। योजना अवधि में 4115 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 42 कंपनियों को स्वीकृति प्रदान की गई है। दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए, 30-09-2022 तक की स्थिति के अनुसार 01-04-2021 से 14,735 करोड़ रुपये की बिक्री हुई जिसमें से 8,063 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ।

(vi) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना के तहत, योजना के ट्रेच 1 के तहत, पूरी तरह से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण इकाइयों की 8.737 जीडब्ल्यू क्षमता स्थापित करने के लिए नवंबर/दिसंबर 2021 में 3 सफल बोलीकर्ताओं को अधिनिर्णय पत्र जारी किए गए। विनिर्माण क्षमता 2024 के अंत के आसपास चालू होने के लिए निर्धारित है।

सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने, अनुपालन बोझ को कम करने, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान आदि जैसी घरेलू क्षमताओं को सहायता देने और विस्तार करने के लिए कई अन्य कदम उठाए हैं।

सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में आयातित उत्पादों के मानकों/गुणवत्ता के रखरखाव के लिए कई उत्पादों के लिए तकनीकी विनियम (टीआर) तैयार करना शामिल है। इसके अलावा, यदि भारतीय उद्योग को आयातों में तीव्र वृद्धि या अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के कारण 'गम्भीर क्षति' या गम्भीर क्षति की चुनौती उत्पन्न होने पर व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को अतिरिक्त शुल्क या मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) लगाकर उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करने का अधिकार है। वर्तमान में, 53 एंटी-डंपिंग उपाय और 4 काउंटरवेलिंग इयूटी उपाय अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण चीनी उत्पादों पर लागू हैं।

सरकार ने भारत में घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश 2021" भी अधिसूचित किया है। अनिवार्य पंजीकरण आदेश के तहत 63 उत्पाद श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार, खिलाड़ियों के लिए, सरकार ने 25 फरवरी 2020 को खिलाड़ियों (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जारी किया है, जिसके माध्यम से 1 जनवरी 2021 से खिलाड़ियों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया है। इससे घटिया खिलाड़ियों के आयात पर रोक लगेगी। रसायन और उर्वरक क्षेत्र में, आज की तारीख तक 66 उत्पादों के साथ 61 क्यूसीओ को बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य करते हुए अधिसूचित किया गया है।

सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत सार्वजनिक खरीद में, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के लाभकारी स्वामित्व वाले बोलीदाता सरकार के साथ पंजीकरण के बाद ही बोली लगाने के पात्र होंगे।

सरकारी खरीद पोर्टल यानी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने विक्रेताओं के लिए उन उत्पादों पर 'उद्गम के देश' का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है, जिन्हें वे प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचना चाहते हैं, यह कदम आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

टूटे और उसना चावल का निर्यात

1177. श्रीमती कविता मलोथू :

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी :

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता :

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी :

श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी :

श्री रघु राम कृष्ण राजू :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान गैर-बासमती और उसना चावल के निर्यात का वर्ष, किस्म और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क और टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद गैर-बासमती चावल का निर्यात 15 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई अफ्रीकी देश टूटे और उसना चावल की मांग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में उसना चावल के स्टॉक का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) मंत्रालय द्वारा ऐसे देशों को टूटे और उसना चावल के निर्यात के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) चावल को मोटे तौर पर दो श्रेणियों अर्थात् बासमती और गैर-बासमती में बांटा जाता है। उसना चावल भी गैर-बासमती चावल की श्रेणी में आता है। विगत तीन वर्षों के दौरान उसना चावल सहित गैर-बासमती चावल के निर्यात का वर्ष-वार, किस्म-वार और देश-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान निर्यात किया गया कुल गैर-बासमती चावल 10.21 मिलियन एमटी है। तथापि, दिनांक 8 सितंबर, 2022 को टूटे चावल के निर्यात पर निषेध और उसना चावल के

अलावा अन्य गैर-बासमती चावल पर 20% का निर्यात शुल्क अधिरोपित करने के पश्चात गैर-बासमती चावल के निर्यात में गिरावट दर्ज की गई है।

(ग) जी हां। कुछ अफ्रीकी देशों से टूटे और उसना चावल सहित गैर-बासमती चावल के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के अनुसार देश में उसना चावल के स्टॉक का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ड.) भारत सरकार ने घरेलू किसानों, औद्योगिक क्षेत्र और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कृषि वस्तुओं की घरेलू कीमतों, उत्पादन, उपलब्ध स्टॉक, उत्पादन अनुमान, पूर्वानुमान आदि की समीक्षा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) गठित की है। इन आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के संबंध में नीतिगत निर्णय उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। आईएमसी समय-समय पर बैठक करती है और अन्य बातों के साथ-साथ, पड़ोसी और कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं को सपोर्ट करने के लिए चावल सहित, निषिद्ध वस्तुओं, यदि कोई हो, के निर्यात के लिए उपायों की सिफारिश करता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1177 के भाग (क) के उत्तर के संबंध में अनुबंध

अनुबंध -I

वस्तु / वर्ष	मात्रा एलएमटी में; मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में					
	2019-20		2020-21		2021-22	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कुल गैर-बासमती चावल	50.56	2031.25	131.49	4810.80	172.89	6133.63
उसना चावल*	31.29	1215.15	61.75	2365.19	74.34	2764.69

*उसना चावल भी गैर-बासमती चावल की श्रेणी में आता है।

स्रोत :डीजीसीआईएस

मात्रा एलएमटी में; मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में						
गैर बासमती चावल						
देश	2019-20		2020-21		2021-22	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बांग्लादेश जनगण.	0.13	12.12	9.14	350.97	16.29	613.95
बेनिन	5.35	195.90	12.31	442.97	15.27	531.39
चीन जनगण.	0.02	0.78	3.32	103.70	16.33	496.65
नेपाल	6.81	245.30	13.33	405.26	14.01	461.49
कोटे डी आइवरी	2.94	107.70	7.32	260.30	9.32	322.65
सेनेगल	2.18	67.49	10.36	304.88	10.91	311.91
टोगो	3.03	107.90	7.80	283.02	8.44	293.99
गिनी	3.27	120.41	6.10	224.50	6.73	243.81
वियतनाम स.गण	0.00	0.78	2.93	90.15	7.08	231.10
मेडागास्कर	0.11	3.69	4.16	127.22	5.72	188.84
अन्य	26.72	1169.17	54.71	2217.82	62.80	2437.84
कुल	50.56	2031.25	131.49	4810.80	172.89	6133.63

स्रोत :डीजीसीआईएस

मात्रा एलएमटी में; मिलियन मूल्य अमरीकी डालर में						
भारत से उसना चावल का निर्यात						
देश	2019-20		2020-21		2021-22	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बांग्लादेश जन.गण	0.06	2.42	7.86	294.97	14.85	556.11
बेनिन	5.00	182.13	9.36	341.62	10.22	363.09
कोटे डी आइवरी	2.78	101.89	5.50	201.17	5.91	210.88
टोगो	2.63	94.11	5.46	202.35	5.83	207.23
गिनी	2.70	99.81	4.41	164.60	4.89	176.55
सोमालिया	3.44	122.17	3.70	126.54	4.55	154.09
श्री लंका लो.स.गण	0.03	1.34	0.01	0.95	3.43	137.94
लाइबेरिया	2.02	74.26	3.17	119.06	3.45	124.14
ज़िबूटी	1.66	60.66	2.12	76.66	2.37	83.32
दक्षिण अफ्रीका	1.45	50.13	2.38	84.20	1.97	67.53
अन्य	9.51	426.23	17.77	753.06	16.87	683.82
कुल	31.29	1215.15	61.75	2365.19	74.34	2764.69

स्रोत :डीजीसीआईएस

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1177 के भाग (घ) के उत्तर के संबंध में अनुबंध

अनुबंध- II

दिनांक 01.12.2022 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में उसना चावल का स्टॉक			
(मात्रा.एमटी में)			
क्षेत्र	उसना चावल का स्टॉक		कुल उसना चावल
	एफसीआई	राज्य एजेन्सी	
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	229	0	229
झारखंड	37417	0	37417
ओडिशा	63081	344336	407417
पश्चिम बंगाल	19690	147114	166804
पूर्वी क्षेत्र कुल	120417	491450	611867
दक्षिण क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	2237	0	2237
तेलंगाना	400015	0	400015
कर्नाटक	4986	0	4986
केरल	89886	741	90627
तमिलनाडु	289795	971000	1260795
दक्षिण क्षेत्र कुल	786919	971741	1758660
पश्चिम क्षेत्र			
छत्तीसगढ़	20785	1398	22183
पश्चिम क्षेत्र कुल	20785	1398	22183
संपूर्ण भारत कुल	928121	1464589	2392710

स्रोत :एफसीआई

नोट :उपरोक्त तालिका में उल्लिखित राज्यों/अंचलों के अलावा अन्य राज्यों/अंचलों में उसना चावल का स्टॉक उपलब्ध नहीं है , क्योंकि उन राज्यों में उसना चावल की खपत नहीं होती है।

दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

रूस-यूक्रेन युद्ध का भारत पर प्रभाव

1187. श्री बी.बी.पाटील:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने यूक्रेन-रूस युद्ध के भारतीय उद्योग और वाणिज्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई अनुमान लगाया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
- (ग) क्या सरकार का यूक्रेन-रूस युद्ध के मद्देनजर अर्थव्यवस्था में कोई वित्तीय प्रोत्साहन देने का विचार है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (घ): विदेश व्यापार से संबंधित स्थिति की सभी हितधारकों के परामर्श से नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है।

भारतीय उद्योग की प्रगति विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है और इसे विभिन्न संकेतकों द्वारा मापा जाता है जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक, पीएमआई विनिर्माण आदि जैसे सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध हैं। इन डेटा सेटों में आंतरिक के साथ-साथ ही विनिर्माण क्षेत्र पर बाहरी कारकों जैसे कि इनपुट लागत में वृद्धि, भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला दबाव आदि दोनों का प्रभाव शामिल है ।

सरकार द्वारा प्रदान किया गया वित्तीय प्रोत्साहन अर्थव्यवस्था के समग्र आकलन और विभिन्न कारकों जैसे प्रचलित घरेलू और बाहरी स्थितियों, अर्थव्यवस्था के विभिन्न वर्गों पर प्रोत्साहन के प्रभाव, लागत-लाभ विश्लेषण आदि के प्रभाव पर निर्भर करता है।

दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश व्यापार नीति

1198 श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क): क्या सरकार ने माल निर्यात, जोकि क्रमिक रूप से गिर गया था, को बढ़ावा देने के लिए एक पैकेज के हिस्से के रूप में विदेश व्यापार नीति के कार्यकाल को एक नई नीति से बदलने के बजाय बढ़ा दिया है; और
- (ख): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार को निर्यात संवर्धन परिषदों और प्रमुख निर्यातकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि हमें मौजूदा विदेश व्यापार नीति (2015–20) को जारी रखना चाहिए, जिसे समय-समय पर आगे बढ़ाया गया था। निर्यातकों और उद्योग निकायों ने सरकार से पुरजोर आग्रह किया कि विद्यमान, अस्थिर वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान नीति को कुछ समय के लिए बढ़ाना उचित होगा और नई नीति लाने से पहले और अधिक परामर्श किया जाए। सरकार ने हमेशा नीति निर्माण में सभी हितधारकों को शामिल किया है। इसको ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर, 2022 तक वैध विदेश व्यापार नीति 2015–20 को 1 अक्टूबर, 2022 से आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अतः मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015–20 जो 30 सितंबर, 2022 तक वैध थी, को अधिसूचना सं. 37/2015–2020 और सार्वजनिक सूचना सं. 26/2015–2022 दिनांक 29 सितंबर, 2022 के तहत 31 मार्च, 2023 तक आगे बढ़ाया गया है।

दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

सार्वजनिक भंडारण से गेहूं का निर्यात

1287. श्री एस.जगतरेक्षकन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि भारत को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से अपने सार्वजनिक भंडारण से गेहूं निर्यात के लिए छूट मांगने संबंधी अपने रुख पर फिर से विचार करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार गेहूं निर्यात करने के लिए निजी व्यापारियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): जी नहीं।

(ग) और (घ): किसी मद के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के संबंध में नीतिगत निर्णय की उसके घरेलू उत्पादन और उपलब्धता के आधार पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेश व्यापार नीति के कार्यकाल में वृद्धि

1333 श्री विजय कुमार उर्फ विजय वसंत

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क): क्या सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015–2020 की कार्यान्वयन अवधि को और छह माह बढ़ाकर मार्च, 2023 तक कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख): क्या सरकार को उद्योग संघों से विदेश व्यापार नीति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग): क्या उद्योग संघों ने सरकार से नई नीति लाने से पहले और अधिक परामर्श करने का आग्रह किया है; और
- (घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उद्योग संघों के साथ अब तक कितनी बार परामर्श किया गया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी हां। मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015–2020, जो 30 सितंबर, 2022 तक वैध थी, को अधिसूचना सं. 37/2015–2020 और सार्वजनिक सूचना सं. 26/2015–2020 दिनांक 29 सितंबर, 2022 के तहत 31 मार्च, 2023 तक आगे बढ़ाया गया है।

(ख) से (घ): सरकार को निर्यात संवर्धन परिषदों और प्रमुख निर्यातकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि हमें मौजूदा विदेश व्यापार नीति (2015–20) को जारी रखना चाहिए, जिसे समय-समय पर आगे बढ़ाया गया था। निर्यातकों और उद्योग निकायों ने सरकार से पुरजोर आग्रह किया कि विद्यमान, अस्थिर वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान नीति को कुछ समय के लिए बढ़ाना उचित होगा और नई नीति लाने से पहले और अधिक परामर्श किया जाए। सरकार ने हमेशा नीति निर्माण में सभी हितधारकों को शामिल किया है। इसको ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर, 2022 तक वैध विदेश व्यापार नीति 2015–20 को 1 अक्टूबर, 2022 से आगे छह माह की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अतः मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015–20 जो 30 सितंबर, 2022 तक वैध थी, को 31 मार्च, 2023 तक आगे बढ़ाया गया है।

दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात में कमी

1339 श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क): क्या अक्टूबर, 2022 में भारत के निर्यात में कमी आई है जिसके कारण निर्यात 30 बिलियन डॉलर के स्तर से नीचे आ गया है;
- (ख): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लगभग सभी क्षेत्रों में निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं;
- (ग): क्या भारत के व्यापार घाटे में अक्टूबर, 2022 में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ): क्या अप्रैल और अगस्त, 2022 के बीच रूस के साथ भारत का व्यापार 18.2 बिलियन अमरीकी डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है;
- (ङ): यदि हां, तो क्या अब रूस भारत को तेल का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है;
- (च): यदि हां, तो इसके निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं;
- (छ): क्या अगस्त, 2022 में रूस को भारत से निर्यात में 24 प्रतिशत की कमी आई है; और
- (ज): यदि हां, तो समग्र व्यापार घाटे को कम करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भारत के व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात अक्टूबर 2022 में 31.40 बिलियन अमरीकी डॉलर था। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद, भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में अप्रैल-अक्टूबर, 2022-2023 के दौरान विगत वर्ष की तदनुसूची अवधि की तुलना में 12.52% की वृद्धि हुई है। अक्टूबर, 2022 में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं (54.2%), रेडीमेड वस्त्रों (6.7%), पेट्रोलियम उत्पाद (69%), चावल (16.4%) आदि जैसे क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में गिरावट के कारणों में कोविड की वजह से कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी और रूस-यूक्रेन संघर्ष एवं मांग में परिणामी मंदी शामिल हैं। भारत के व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार घाटा अक्टूबर 2021 में 17.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 54.06% बढ़कर अक्टूबर 2022 में 27.59 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

(घ) से (छ): अप्रैल-अगस्त 2022 के दौरान भारत का रूस के साथ व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार (निर्यात और आयात) 16.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। रूस इस अवधि के दौरान भारत को कच्चे पेट्रोलियम का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया।

(ज): सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने और समग्र व्यापार घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- (i) विदेश व्यापार नीति (2015-20) 31.03.2023 तक बढ़ा दी गई है।
- (ii) पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण स्कीम को भी 31.03.2024 तक बढ़ाया गया है।
- (iii) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई स्कीमों नामतः निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), और बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।
- (iv) श्रम उन्मुख वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय लेवी और करों में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम 07.03.2019 से शुरू की गई है।
- (v) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है।
- (vi) व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाणपत्र के लिए सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।
- (vii) विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुपालन द्वारा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और उनमें विविधता लाने के लिए 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- (viii) प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों का निर्यात करने में आने वाली अडचनों को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करने के लिए जिलों को निर्यात हब के रूप में लांच किया गया है।
- (ix) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में भारतीय मिशन की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।
- (x) कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न राहत उपायों के माध्यम से, घरेलू उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई, जिनका निर्यात में प्रमुख हिस्सा है, को सहायता देने के लिए पैकेज की घोषणा की गई।
